भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2624

09 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: फल उगाने के लिए सरकारी सहायता

2624. श्री राजू बिष्टः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत में दार्जिलिंग की पहाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ संतरों का उत्पादन होता है और तराई और दुआर आर्गेनिक सब्जियों और फलों के उत्पादन का केन्द्र होने सहित कलिमपोंग बागवानी हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध केंद्र है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र के किसान और फल उत्पादक उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी शीतागार और विपणन हेतु सरकारी सहायता की कमी के कारण प्रभावित हुए हैं तथा यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) : जी, हां। भारत में दार्जिलिंग का पहाड़ी क्षेत्र संतरों का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में से एक है तथा नारंगी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला तराई से दुआर क्षेत्र तक फलों एवं सब्जियों सहित बड़ी संख्या में बागवानी फसलों की सफलतापूर्वक खेती के लिए उपयुक्त विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों से संपन्न है। दार्जिलिंग एवं कलिमपोंग जिलों में किन्नू/मंडारिन संतरा तथा सब्जियों के क्षेत्र एवं उत्पादन का विवरण तालिका 1 एवं 2 दिया गया है।

तालिका 1-किन्नू/मंडारिन संतरा का क्षेत्र एवं उत्पादन

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**अंतिम अनुमान (2017-18)**	
		क्षेत्र '000 हेक्टेयर में	**उत्पादन '000एमटी में**
1	**दार्जिलिंग**	2.434	23.980
2	**कलिमपोंग**	1.591	15.565

तालिका 2-सब्जियों का क्षेत्र एवं उत्पादन

क्र.सं.	जिले का नाम	अंतिम अनुमान (2017-18)	
		क्षेत्र '000 हेक्टेयर में	उत्पादन '000एमटी में
1	दार्जिलिंग	13.456	162.079
2	कलिमपोंग	9.955	114.726

(ख) एवं (ग): ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसे विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से फलों, सब्जियों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू एवं कोकोआ को कवर करने वाले बागवानी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कार्यान्वित किया जाता है। पौध सामग्री के उत्पादन, क्षेत्र विस्तार, जर्जर बागानों का जीर्णोद्धार तथा शीतागारों की स्थापना सहित फसलोपरांत प्रबंधन (पीएचएम) अवसरंचना की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध है।

फसलोपरांत प्रबंधन घटक, वाणिज्यिक उद्यमों के माध्यम से उद्यमियों, निजी कंपनियों, सहकारी समितियों, किसान समूहों आदि से मांग/उद्यम-चालित है जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत की क्रमश: 35 प्रतिशत से 55 प्रतिशत की दर पर सहायता प्रदान की जाती है जो प्रति लाभार्थी संबंधित राज्य बागवानी मिशन के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड बैंक इंडेड सब्सिडी के रूप में उपलब्ध है।

*****